न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 84/2005

1 रामदेव पुत्र डेडिया जाति कुम्हार निवासी टोडपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
1/1 माली देवी बेवा रामदेव।
1/2 भागुराम पुत्र रामदेव।
1/3 प्रभुदयाल पुत्र रामदेव।
1/4 परतुराम पुत्र रामदेव।
1/5 सोहनलाल पुत्र रामदेव।
1/6 मोहनलाल पुत्र रामदेव।
1/7 पूर्णमल पुत्र रामदेव।
1/8 रूकमणी पुत्री रामदेव।
1/9 शान्ति पुत्री रामदेव।
1/10 सन्तोष पुत्री रामदेव समस्त जाति कुम्हार निवासीगण टोडपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 भोलुराम पुत्र घीसाराम मृतक।
1/1 सुरजी देवी बेवा भोलुराम।
1/2 छोटु पुत्र भोलुराम।
1/3 खेताराम पुत्र भोलुराम।
1/4 विनोद पुत्र भोलुराम।
1/5 किशोर पुत्र भोलुराम।
1/6 शान्ति पुत्री भोलुराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

1/7 गुलाबी पुत्री भोलुराम।
2 झाबरमल पुत्र घीसाराम (मृतक)।
2/1 श्रीमती रामेश्वरी बेवा झाबरमल।
2/2 केशरदेव पुत्र झाबरमल।
2/3 बंशीलाल पुत्र झाबरमल।
3 रामेश्वर पुत्र घीसाराम (मृतक)।
3/1 जड़ावली देवी बेवा रामेश्वर।
3/2 रामोतार पुत्री रामेश्वर।
3/3 किशोर पुत्र रामेश्वर।
3/4 छीतरमल पुत्र रामेश्वर।
3/5 बिदामी देवी पुत्री रामेश्वर।
3/6 कालती देवी पुत्री रामेश्वर।
4 केशर पुत्र घीसाराम (मृतक)।
4/1 लुणाराम पुत्र केसर समस्त जाति माली निवासीगण टोडपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
5 परमेश्वर पुत्र रूघनाथ जाति कुम्हार।
5/1 मु. बिमला बेवा परमेश्वर।
5/2 गिरधारीलाल पुत्र परमेश्वर नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता बिमला बेवा परमेश्वर।
5/3 मीरा पुत्री परमेश्वर नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता बिमला बेवा परमेश्वर।
5/4 भगवती पुत्री परमेश्वर।
5/5 मिश्री पुत्री परमेश्वर।
6 सुवाराम पुत्र रघुनाथ।
7 भागीरथ पुत्र रूघनाथ (मृतक)।
7/1 शान्ति देवी बेवा भागीरथ।
7/2 ओमप्रकाश पुत्र भागीथ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

7/3 कालुराम पुत्र भागीरथ।
7/4 बाबुलाल पुत्र भागीरथ।
7/5 पिंकी देवी पुत्री भागीरथ।
8 छोटुराम पुत्र रूघनाथ समस्त जाति कुम्हार निवासीगण टोडपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
9 सरस्वती बेवा रूघनाथ जाति कुम्हार निवासी टोडपुरा (मृतक हजफ)।
10 तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 20.11.1990 व डिक्री दिनांक 27.05.2005 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ बमुकदमा उनवानी भोलूराम बनाम झाबर वगैरह मुकदमा नम्बर 34/2005 बाबत इस्तकरार हक बंटवारा जमीन व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,53,188 आर.टी.एक्ट।

उपस्थिति :

1. श्री रणजीत सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हरिप्रसाद सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 07.04.22

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 34/2005 में पारित निर्णय दिनांक 27.05.2005 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 157 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा पुख्ता ग्राम टोडपुरा तहसील नवलगढ़ में स्थित है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

इस जमीन के नये खसरा नम्बर 576 रकबा 2.38 हैक्टेयर है। उक्त भूमि में रेवेन्यू रिकार्ड के मुताबिक अपीलांट का 1/2 हिस्सा है। और आधा हिस्सा रेस्पोडेंट नम्बर 4 लगायत 9 का है। तमाम रेवेन्यू रिकार्ड के मुताबिक वादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 एवं प्रतिवादी रेस्पोडेंट नम्बर 2 व 3 पुत्रगण घीसाराम जाति माली का उपरोक्त वर्णित भूमि में कोई हक व हिस्सा नही है। वादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने कोर्ट को मुगालते में रखकर बिना किसी रेवेन्यू रिकार्ड के दावा डिक्री करवाया है। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने वादी अपीलांट को ना तो तामील हुई है, ना ही अपीलांट हाजिर हुआ है, ना ही अपीलांट ने राजीनामा प्रस्तुत किया है। विचाराधीन निर्णय व डिक्री के विभाजन प्रस्ताव पर पटवारी हल्का ने स्पष्ट अंकन किया है कि रामदेव ने हस्ताक्षर करने से इन्कार किया। विचारण न्यायालय के समक्ष राजीनामा खसरा नम्बर 576 के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया है जबकि विचाराधीन निर्णय से खसरा नम्बर 549 से 555 व 557 के सन्दर्भ में डिक्री जारी की गई है जबकि इन खसरा नम्बर के सन्दर्भ में दावा ही प्रस्तुत नही किया गया था। ऐसी स्थिति में विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत है। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट ने स्वंय उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया है। राजीनामे के आधार पर विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय व डिक्री जारी की है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है विलम्ब का सन्तोषजनक कारण अंकित नही किया है। अत अपील अपीलांट खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किंया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में अपीलांट का कथन रहा है कि विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय में वादी अपीलांट को ना तो तामील हुई है, ना ही अपीलांट हाजिर हुआ है, ना ही अपीलांट ने राजीनामा प्रस्तुत किया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचाराधीन निर्णय व डिक्री के विभाजन प्रस्ताव पर पटवारी हल्का ने स्पष्ट अंकन किया है कि रामदेव ने हस्ताक्षर करने से इन्कार किया। विचारण न्यायालय के समक्ष राजीनामा खसरा नम्बर 576 के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया है जबकि विचाराधीन निर्णय से खसरा नम्बर 549 से 555 व 557 के सन्दर्भ में डिक्री जारी की गई है जबकि इन खसरा नम्बर के सन्दर्भ में दावा ही प्रस्तुत नही किया गया था। ऐसी स्थिति में विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

अपीलांट द्वारा जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एंव प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रकिया की पालना कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.04.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर